अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या तीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

भूमि विवाद अपील संख्या-12/2013

ललन सिंह उर्फ लालेश्वर सिंह एवं अन्य ..... अपीलकर्त्ता

बनाम

1. बिन्देश्वर यादव .....विपक्षी संख्या-1

2. राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, वीरपुर..... विपक्षी संख्या-2

आदेश

20.10.2014

यह भूमि विवाद अपील अपीलकर्त्ता द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, वीरपुर के भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या-136/2012 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2012 के विरुद्ध दाखिल किया गया है।

2 उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता से सुना एवं वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात का अवलोकन किया।

3 विपक्षी संख्या-1 का विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से संक्षेप में कथन है कि विवादित भूमि पुराना खाता-418 खेसरा-1980 रकवा 7 कट्ठा 5 धूर एवं खेसरा 1982 रकवा 10 कट्ठा 4 धूर कुल रकवा-17 कट्ठा 9 धूर मौजा-वीरहा थाना-करजेन बाजार जिला सुपौल में स्थित है। विवादित भूमि के खतियानी रैयत छोटे लाल चौधरी थे, जिनके दो पुत्र सीताराम चौधरी एवं विन्देश्वरी चौधरी हुए दोनो भाईयों में आपसी बटवारा हुआ। हिस्से के अन्य भूमि के साथ विवादित भूमि विन्देश्वरी चौधरी के हिस्से में आया एवं वे दखलकार हुए। बिन्देश्वरी चौधरी द्वारा 7 बीघा 14 कट्ठा 7 धूर भूमि जिसमें विवादित भूमि भी सम्मिलित था, अनिरुद्ध चौधरी के भूमि 4 बीघा 5 कट्ठा से बदलैन बजापता निबंधित दस्तावेज दिनांक 09.11.1990 द्वारा किया गया। इस बदलैन से अनिरुद्ध चौधरी विवादित भूमि सहित कुल 7 बीघा 14 कट्ठा 7 धूर भूमि पर दखलकार हुए। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि बिन्देश्वरी चौधरी के दो पुत्र रविन्द्र चौधरी एवं सचिन्द्र चौधरी हुए। चूकि बदलैन को भूमि खतियानी रैयती थी, इसलिए रविन्द्र चौधरी एवं सचिन्द्र चौधरी द्वारा निबंधित दस्तावेज दिनांक 24.04.2002 द्वारा अनिरुद्ध चौधरी के पक्ष में किया गया। अनिरुद्ध चौधरी के पुत्रों संजीत कुमार जयसवाल एवं संजय कुमार जयसवाल द्वारा बजापता निबंधित दस्तावेज दिनांक 27.06.2012 द्वारा खाता-416 खेसरा 1982 एवं खाता-423 खेसरा 1980 रकवा 17 कट्ठा 9 धूर भूमि अपीलकर्त्ता को बिक्री कर दिया गया एवं इस तरह अपीलकर्त्ता विवादित भूमि पर दखलकार हुए।

विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि विपक्षी संख्या-1 द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, वीरपुर के न्यायालय में वाद संख्या-136/2012 दाखिल किया गया एवं दावा किया गया है कि सीताराम चौधरी के मृत्यु उपरान्त उनके बड़े पुत्र पशुपति चौधरी मालिकान हुए जिन्होंने विवादित भूमि तीन निबंधित दस्तावेज दिनांक 25.07.2012, 10.12.2001 एवं 31.12.2001 द्वारा विन्देश्वरी यादव (विपक्षी संख्या-1) को बिक्री कर दिया। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह वैद्य नही है, क्योंकि खतियानी रैयत के पुत्र बिन्देश्वरी चौधरी द्वारा अपने हिस्से की भूमि विवादित भूमि सहित वर्ष 1990 में ही अनिरुद्ध चौधरी से बदलैन की जा चुकी थी। इस बदलैन से अनिरुद्ध चौधरी के दखल कब्जा में विवादित भूमि आया एवं उनके मृत्यु उपरान्त उनके पुत्रों संजीव कुमार जयसवाल एवं संजय कुमार जयसवाल द्वारा निबंधित दस्तावेज द्वारा अपीलकर्त्ता को भूमि प्राप्त हुई। निम्न न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय दिया गया, जो सही नही है।यह स्वत्व (Title) एवं दखल से संबंधित मामला है। इसके अतिरिक्त पशुपति चौधरी के द्वारा किये गये निबंधित दस्तावेज के आधार पर विपक्षी संख्या-1 दावा करते हैं, लेकिन उनके दो भाईयों द्वारा कोई केवाला नही किया गया। निम्न न्यायालय का आदेश सही नही है एवं निरस्त करने योग्य है। अपने दावों के समर्थन में अपीलार्थी द्वारा कोई भी प्रासंगिक कागजात बहस के दौरान नहीं प्रस्तुत किया गया।

4 विपक्षी संख्या-1 का अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से संक्षेप में कथन है कि विवादित भूमि छोटेलाल चौधरी की थी, जिनके मृत्यु उपरान्त आधा-आधा हिस्सा उनके पुत्र सीताराम चौधरी एवं बिन्देश्वरी चौधरी के हिस्से में आया। सीताराम चौधरी के मृत्यु उपरान्त उनके बड़े पुत्र पशुपति चौधरी मालिक हुए एवं इस हैसियत से जरूरत पड़ने पर विवादित भूमि पुराना खेसरा-980 रकवा-7 कट्ठा 5 धूर बजाप्ता निबंधित केवाला दिनांक 25.07.2012 द्वारा बिन्देश्वरी यादव (विपक्षी संख्या-1) को बिक्री कर दियें। बिन्देश्वरी यादव ने केवाला अपने लड़के ओमप्रकाश के नाम से लिया, जो उक्त भूमि पर दखलकार हुए। पुनः पशुपति चौधरी द्वारा बजाप्ता निबंधित केवाला दिनांक 31.12.2001 से खेसरा 1982 रकवा 1 कट्ठा 10 धूर बिन्देश्वरी यादव को बिक्री कर दिये , जो उनके पुत्र ओमप्रकाश के नाम से लिया गया एवं पशुपति चौधरी द्वारा बजाप्ता निबंधित केवाला दिनांक 10.12.2001 से पुराना खेसरा 1969 नया खेसरा 194 वो भी पुराना खेसरा 1982 नया खेसरा 187 रकवा 9 कट्ठा 17 धूर बिक्री कर दिये जो बिन्देश्वरी यादव के पुत्र जय प्रकाश यादव के नाम से हुआ। इस तरह खतियानी वारिसान सीताराम चौधरी का आधा हिस्सा उनके पुत्र द्वारा बिक्री विपक्षी संख्या-1 को किया गया एवं वे दखलकार हुए। विपक्षी संख्या-1 के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि अंचल सरिस्ता में जमाबंदी साधा-2626 एवं 2627 कायम हुआ एवं मालगुजारी रसीद विपक्षी संख्या-1 को निर्गत होता रहा। बहस के दौरान इन कागजातों को प्रतिपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिखाया गया तथा राजस्व रसीद भी प्रस्तुत किया गया।

विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि खतियानी वारिसान सीताराम चौधरी के भाई बिन्देश्वरी चौधरी द्वारा अपने भाई सीताराम चौधरी के हक एवं हिस्सा को हड़पने के लिये अनिरुद्ध चौधरी के पक्ष में सीताराम चौधरी के हिस्से को भी बदलैन में दे दिया गया, जिसका उनको अधिकार नही था। उक्त बदलैन नामा में सीताराम चौधरी एवं उनके पुत्रों का राजीनामा एवं हस्ताक्षर नही है। अतः उक्त बदलैन का पायवन्दी सीताराम चौधरी एवं उनके लड़के का नही है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से स्वतः स्पष्ट है कि स्थलीय जाँच में विपक्षी संख्या-1 का दखल कब्जा विवादित भूमि पर पाया गया। अतः निम्न न्यायालय का आदेश सही है एवं

उपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज योग्य है।

5 निम्न न्यायालय का आदेश, अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन एवं विपक्षी संख्या-1 द्वारा दाखिल लिखित बहस दिनांक 18.10.2014 तथा वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात का अवलोकन किया। स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष मानते है कि खतियानी रैयत छोटेलाल चौधरी थे, जिनके दो पुत्र सीताराम चौधरी एवं बिन्देश्वरी चौधरी हुए। अपीलकर्त्ता का दावा है कि बिन्देश्वरी चौधरी द्वारा वर्ष 1990 में अपने हिस्से के विवादित जमीन सहित निबंधित बदलैन नाम अनिरूद्ध चौधरी के पक्ष में किया गया एवं अनिरूद्ध चौधरी दखलकार हुए एवं जमाबंदी कायम हुआ एवं जमाबंदी संख्या 2362 का लगान रसीद हासिल करने लगे। बिन्देश्वरी चौधरी के मृत्यु उपरान्त उनके पुत्र रविन्द्र चौधरी एवं सचिन्द्र चौधरी द्वारा विवाद उत्पन्न होने पर निबंधित दस्तावेज दिनांक 24.04.2002 द्वारा विवादित जमीन अनिरूद्ध चौधरी के पक्ष में लिख दिया गया। अनिरूद्ध चौधरी के मरने के बाद उनके पुत्र संजीव कुमार जयसवाल एवं संजय कुमार जयसवाल द्वारा निबंधित दस्तावेज दिनांक 27.06.2012 द्वारा अपीलकर्त्ता को बिक्री किया एवं अपीलकर्त्ता विवादित जमीन पर दखलकार हुए वही विपक्षी संख्या-1 का दावा है कि विवादित जमीन सीताराम चौधरी के बड़े पुत्र पशुपति चौधरी द्वारा तीन निबंधित केवाला दिनांक 10.12.2001, 31.12.2001 एवं 25.07.2012 द्वारा उनके पक्ष में बिक्री किया गया एवं वे दखलकार हुए एवं दाखिल खारिज वाद संख्या-1695/12-13-2001 से जमाबंदी संख्या-2626 एवं 2627 के पुत्रों के नाम से कायम है एवं दखलकार है। इस तरह दोनो पक्ष विवादित जमीन पर निबंधित दस्तावेजों के आधार पर दावा करते है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2012 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विद्वान भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, वीरपुर द्वारा पाया गया कि दाखिल खारिज वाद संख्या-1695/12-13 में पुराना खेसरा 1982 रकवा 10 कट्ठा 4 धूर एवं खेसरा संख्या-1980 में रकवा 7 कट्ठा 4 धूर अंकित है, उस जमीन की जमाबंदी बिन्देश्वर यादव के पुत्रों के नाम से जमाबंदी संख्या 2626, 2627 चल रहा है। अपीलकर्त्ता के आलोक में छान-बीन कराने पर बिन्देश्वरी यादव के पुत्रों के दखल कब्जा पाया गया। अंचल निरीक्षक द्वारा भी समपुष्ट किया गया है। उक्त दाखिल खारिज वाद संख्या-1695/12-13 में झापांक 791 दिनांक 09.10.2012 द्वारा निर्गत शुद्धि पत्र को स्थगित रखने का आदेश दिया गया है। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा पाया गया कि निर्गत शुद्धि पत्र को स्थगित रखना अंचल अधिकारी के क्षेत्राधिकार के बाहर है। अपने आदेश को पुनः सुनवाई करने या किसी प्रकार का आदेश निर्गत करना नियमानुकूल नही है। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, वीरपुर द्वारा बिन्देश्वरी यादव (विपक्षी संख्या-1) का विवादित भूमि पर दखल कब्जा पाया गया एवं उनके पक्ष में अपील स्वीकृत किया गया जिससे मैं सहमत हूँ। इसके साथ ही निम्न न्यायालय के आदेश को सही मानते हुए सम्पुष्ट किया जाता है।

6 उपरोक्त प्रस्थिपेक्ष्य में, अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज (Dismiss) किया जाता है। प्रथम पक्ष अगर चाहें तो सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं। कृपया तदनुसार सूचित करें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है, निम्न न्यायालय के अभिलेख को वापस की जाए।

मेरे द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

20.X.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

20.X.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा